//प्रेस विज्ञप्ति//

रायपुर कमिश्नरेट

(डीसीपी क्राईम एवं सायबर)

दिनांक 25.05.26

ऑनलाईन सट्टा गिरोह पर कोलकाता एवं हरियाणा में कमिश्नरेट पुलिस की दबिश

05 पैनल नेटवर्क ध्वस्त 26 आरोपी गिरफ्तार

- पुलिस उपायुक्त श्री स्मृतिक राजनाला के सतत मॉनिटरिंग में ए.सी.सी.यू की टीम द्वारा 72 घंटे के लगातार ऑपरेशन के दौरान न्यू राजेन्द्र नगर, मौदहापारा एवं तिल्दा नेवरा सहित पूर्व के प्रकरण थाना तेलीबांधा में कुल 26 आरोपी गिरफ्तार।
- कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात् से अब तक ए.सी.सी.यू. की टीम द्वारा ऑनलाईन सट्टा में कुल 100 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार।
- रायपुर सहित रायगढ़ व दुर्ग के पैनल नेटवर्क हुए ध्वस्त
- आई.पी.एल. के दौरान कुल 13 पैनलो को किया गया है ध्वस्त सभी आरोपियों की चल एवं अचल संपत्ति को अटैच करने की भी की जायेगी कार्यवाही
- पुलिस उपायुक्त (मध्य जोन) श्री उमेश गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) श्री संदीप पटेल, पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा एवं पुलिस उपायुक्त (क्राईम एण्ड साईबर) श्री स्मृतिक राजनाला के निर्देशन में थाना तेलीबांधा, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, थाना मौदहापारा एवं थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
- झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार सहित प्रदेश के दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद व रायपुर जिले के कुल 26 आरोपी गिरफ्तार।
- कुल 04 नग लैपटाप, 59 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 17,92,070/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग चारपहिया वाहन किया गया जप्त।

- जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 50 लाख रूपये।

- **LOTUS365.com, LION4.com, wb03faltu.com, Naseeb7777.com, Goldenexch.com, BETONLY99.com, UNCLEBET9.com, GRANDEXCH.com, POWEREXCH.com, Gold777.com, jmdbet777.com, silverbet777.club, allpanel777.now, jmdbet777.com, Peachexch.com, NASEEB91** नामक पैनल व आई डी से कर रहे थे ऑनलाईन बैटिंग का संचालन।

- वर्ष 2026 में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात् अब तक एण्टी क्राईम एण्डसाईबर यूनिट की टीम ऑनलाईन सट्टा के प्रकरणों में कार्यवाही करते हुये 18 प्रकरण में 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी रकम 85,01,678 , मोबाईल फोन – 281 नग, लैपटॉप – 25 नग, चारपहिया वाहन –11 नग, दोपहिया वाहन – 04 नग सहित अन्य मशरूका कीमती लगभग 04 करोड़ 29 लाख 3 हजार 800 रूपये किया गया है जप्त।

लगातार रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव कुमार शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले द्वारा सभी अधिकारियों को आईपीएल के दौरान क्रिकेट सट्टा पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। लगातार एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हो रहीं थी कि शहर के सभी बड़े–बड़े सट्टा खिलाने वाले आपस में एक होकर देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। इन ग्रुपो को चिन्हांकित कर उनपर कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही दौरान अभी तक कुल 14 निम्नांकित संगठित अपराध संचालित करने वाले गिरोहों पर कार्यवाही की गई है–

- आई.पी.एल. के दौरान

क्र	ग्रुप का नाम
01	मंजीत सिंह एवं मोहित सोमानी ग्रुप
02	बाबू खेमानी ग्रुप
03	नमन जग्गी एवं आयूष जैन एवं अंकित अग्रलवाल ग्रुप
04	अमित जंघेल ग्रुप
05	सोनू फतनानी ग्रुप
06	अमन नत्थानी ग्रुप
07	हर्ष नागदेव ग्रुप
08	हरीश नायक ग्रुप
09	लक्ष्मण एवं आशीष जाधव ग्रुप

- आई.पी.एल. के पूर्व

क्र	ग्रुप का नाम

01	राखब देव पाहूजा ग्रुप
02	रितेश गोविन्दानी ग्रुप
03	आकाश ताण्डी ग्रुप
04	प्रतीक वाधवानी एवं सैन्की देवड़ा ग्रुप
05	धरमू उर्फ धर्मेन्द्र पोहानी ग्रुप

नोट – आई.पी.एल. के दौरान एवं आई.पी.एल. के पूर्व भी सट्टा पैनल नेटवर्क गिरोह को ध्वस्त किया गया है साथ ही पहली बार पेमेन्ट गेट–वे पर कार्यवाही की गई है सभी आरोपी संगठित होकर सट्टा पैनल ग्रुप का एक साथ संचालन कर रहे थे।

➢ <u>72 घंटे के ऑपरेशन दौरान की गई कार्यवाही का विवरण</u> –

<u>**प्रकरण क्रमांक 01**</u> **–** **थाना तेलीबांधा के अप.क्र 202/26 धारा 4(क) जुआ अधिनियम, छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं 112(2)बीएनएस** पूर्व में आरोपी नमन जग्गी एवं आयूष जैन सहित 03 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। प्रकरण के विवेचना दौरान महाराष्ट्र के नागपुर से अंकित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया विस्तृत पूछताछ में नमन जग्गी ने अपने पार्टनर के साथ कोलकाता में पैनल बैठा कर काम करना बताया था। अंकित अग्रवाल ने भी गिरफ्तारी के बाद इस बात की पुष्टि तकनिकी साक्ष्यों के आधार पर होने पर उनि अतुलेश राय की टीम द्वारा कोलकाता में रेड कार्यवाही कर 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया व उनके कब्जे से 08 लाख रूपये नगद, 35 मोबाईल फोन एवं 02 नग लैपटॉप बरामद किये गये। प्रकरण का मुख्य आरोपी रायगढ़ खरसिया निवासी अमन नत्थानी है जो पार्टनरशिप में रायपुर निवासी राम लालवानी व नमन जग्गी, आयूष जैन एवं अंकित अग्रवाल के साथ पैनल का संचालन कर रहा था। राम लालवानी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी राम लालवानी के विरूद्ध पूर्व में वर्ष 2023 में आई.पी.एल. सट्टा संचालन के प्रकरण में थाना खमतराई में अपराध पंजीबद्ध है व आरोपी अमन नत्थानी के विरूद्ध जिला रायगढ़ में अपराध पंजीबद्ध है।

<u>जप्त सामग्री</u> – मोबाईल फोन– 35 नग, लैपटॉप – 02 नग, ए.टी.एम. – 74 नग, पासबुक – 36 नग , चेकबुक – 15 नग एवं नगदी रकम – 08 लाख रूपये

<u>पैनल की जानकारी</u> – Lion4.com, Lotus365.com, Gold777, jmdbet777.com, silverbet777.club

<u>**प्रकरण क्रमांक 02**</u> **– थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अप.क्रमांक 191/26 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 07 एवं 112 बी.एन.एस** के प्रकरण में पूर्व में सौरभ मुकीम, **करण पिंजानी उर्फ किट्टू, शेख आसिफ एवं इमाम अहमद** को गिरफ्तार किया गया। विस्तृत पूछताछ में इन्होने बताया कि इनके अन्य साथी जो हरियाणा के गुरूग्राम में पैनल संचालित कर रहे है पूछताछ की तस्दीक हेतु उनि मुकेश सोरी की टीम द्वारा हरियाणा के गुरूग्राम में रेड कार्यवाही किया गया एवं वहां से 05 आरोपियों से 02 नग लैपटॉप एवं 14 नग मोबाईल फोन बरामद किया गया। अन्य आरोपियों की शिघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी।

<u>जप्त सामग्री</u> – मोबाईल फोन– 14 नग, लैपटॉप – 02 नग एवं नगदी रकम – 45,220/– रूपये, ए.टी.एम. – 17, पासबुक – 10 नग , चेकबुक – 05 नग तथा 01 नग चारपहिया वाहन।

<u>पैनल की जानकारी</u> – wb03faltu.com, Naseeb Book, Goldenexch.com, BETONLY99, UNCLEBET9, BETONLY99, GRANDEXCH, POWEREXCH

<u>प्रकरण क्रमांक 03</u> – न्यू राजेन्द्र नगर थाने के प्रकरण से ज्ञात हुआ कि तिल्दा में भी **NASEEB बुक** नामक पैनल का संचालन हो रहा है, जिस पर उनि गेंदूराम नवरंग की टीम द्वारा सूचना संकलित कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनसे पूछताछ पर बताया कि **NASEEB बुक** का संचालन तिल्दा निवासी सोनू फतनानी द्वारा किया जा रहा है व लोकल कलेक्शन का काम सोनू फतनानी के भाई राहुल फतनानी के द्वारा किया जाता था। प्रकरण में किशन उर्फ सोनू हिंदुजा एवं गौतम पंजवानी को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास **NASEEB बुक** आई.डी. प्राप्त हुई है आरोपियों से कुल 9,92,070/– रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 226/26 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 06 एवं 07 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।

<u>जप्त सामग्री</u> – मोबाईल फोन– 03 नग एवं नगदी रकम – 9,92,700/– रूपये
<u>पैनल की जानकारी</u> – NASEEB91 Book

<u>प्रकरण क्रमांक 04</u> – ए.सी.सी.यू. की टीम को सूचना मिली कि अमित जंघेल नामक व्यक्ति जो श्रीनगर में रहकर अपने भाई के माध्यम से गोवा में ऑनलाईन पैनल का संचालन कर रहा है सूचना पर उनि सतीश कुमार पुरिया की टीम द्वारा रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के कब्जे से 07 मोबाईल फोन व 04 हजार रूपये जप्त किया गया। आरोपी अमित जंघेल की निशानदेही पर कलेक्शन एजेंट मुकेश जंघेल एवं आई.डी. बांटने वाले अजय साहू उर्फ मोन्टू एवं रवि ठेंगवानी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध **थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 91/2026 धारा 4(क) जुआ एक्ट, छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 07 तथा 112 बी.एन.एस.** का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है। प्रकरण में शिघ्र ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की जायेगी।

आरोपी अमित जंघेल के विरूद्ध पूर्व में भी थाना कबीरनगर में ऑनलाईन सट्टा संचालन करने के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

<u>जप्त सामग्री</u> – मोबाईल फोन– 07 नग एवं नगदी रकम – 4,000/– रूपये
<u>पैनल की जानकारी</u> – allpanel777.now, jmdbet777.com, Peachexch.com

<u>गिरफ्तार आरोपी (थाना तेलीबांधा के प्रकरण में)</u> –

1. प्रदीप पटेल पिता अग्रसेन पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कसेडा तहसील गुंडा देश जिला थाना रन चिरई जिला बालोद छत्तीसगढ़।
2. निसान हटिया पिता गुलशन हंसीदा उम्र 22 साल निवासी डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद थाना डबुआ जिला फरीदाबाद हरियाणा।
3. राहुल शुक्ला पिता अशोक शुक्ला उम्र 36 वर्ष निवासी गुरु दंड मिलन चौक जैन टेंट हाउस के पास थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर।

4. दीपेश डलवानी पिता भागचंद डलवानी उम्र 25 वर्ष निवासी श्रीनगर बाबा भवन के पास गोंदिया थाना सिटी पुलिस स्टेशन जिला गोंदिया महाराष्ट्र।

5. लखन थावरानी पिता महेश थावरानी अमृत 23 वर्ष शौकीन जरा भाटा मंदिर चौक कस्तूरबा नगर कारगिल चौक बिलासपुर थाना सिविल लाइन बिलासपुर।

6. आकाश सिंह राजपूत उर्फ छोटू पिता रामायण सिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी मास्टर रायपुर थाना डीडी नगर जिला रायपुर।

7. लिखेश्वर साहू पिता सुरेश साहू उम्र 30 वर्ष निवासी बुढ़िया कल साहू मोहल्ला थाना मुस्कान जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

8. सुबोध राम पिता लक्ष्मी राम उम्र 31 साल निवासी सहसपुर रायपुर थाना पंडोल जिला मकदोई बिहार।

9.अमन नत्थानी पिता मनोज कुमार नत्थानी उ्र 30 साल निवासी खरसिया वार्ड 14 थाना खरसिया जिला रायगढ़।

10. राम लालवानी पिता नरेश लालवानी उम्र 28 साल निवासी गली नं. 06 थाना तेलीबांधा रायपुर।

<u>गिरफ्तार आरोपी (न्यू राजेन्द्र नगर के प्रकरण में)</u> –

01. सौरभ मुकीम पिता स्व. मोती लाल मुकीम उम्र 38 साल निवासी शांति विजय गुरू मंदिर के पास आम्रपाली सोसायटी पचपेड़ीनाका थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।

02. करण पिंजानी उर्फ किट्टू पिता निर्मल पिंजानी उम्र 28 साल निवासी प्रगति विहार महावीर नग थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

03. शेख आसिफ पिता शेख रमजान पिता उम्र 42 साल निवासी चांदनी चौक नेहरू नगर थाना कोतवाली रायपुर।

04. इमाम अहमद पिता अब्दुल गनी उम्र 44 साल पता रामेश्वर नगर थाना खमतराई रायपुर।

05. भैरव कुमार पिता कैलाश यादव उम्र 23 साल निवासी राणा मोड देवघर कॉलेज गेट थाना देवघर झारखण्ड।

06. राजीव कुमार पिता हिमांशु यादव उम्र 24 वर्ष निवासी राणा मोड देवघर कॉलेज के पास थाना देवघर झारखंड।

07. सिकंदर यादव पिता केलांचल यादव उम्र 32 पता राणा मोर देवघर कॉलेज के पीछे थाना देवघर झारखण्ड।

08. रविंद्र कुमार पिता जगन यादव उम्र 26 वर्ष पता राणा मोर देवघर कॉलेज गेट के पीछे थाना देवघर झारखण्ड।

09. गुरदेव सिंह पिता स्वर्गीय सिंह उम्र 35 वर्ष पता वैशाली नगर ईडब्ल्यूएस 664 थाना सुपेला भिलाई छत्तीसगढ़।

गिरफ्तार आरोपी (थाना तिल्दा नेवरा के प्रकरण में)

01 राहुल फतनानी पिता ओमप्रकाश उम्र 27 साल निवासी भैरवगढ़ धाम समीर किराना स्टोर के पास थाना तिल्दा नेवरा।

02. गौतम पंजवानी पिता हिरानंद पंजवानी उम्र 35 साल निवासी झुलेलाल मंदिर के पास पुराना राधास्वामी डेरा थाना तिल्दा नेवरा।

03. किशन उर्फ सोनू हिंदुजा पिता रमेश हिंदुजा उम्र 32 साल निवासी सुभाष चौक थाना तिल्दा नेवरा रायपुर।

गिरफ्तार आरोपी (थाना मौदहापारा के प्रकरण में)

01 अजय उर्फ मोन्टू साहू पिता कुंदन साहू उम्र 28 साल निवासी जोरापारा थाना मौदहापारा रायपुर।

02. मुकेश जंघेल पिता पंचूराम जंघेल उम्र 35 साल निवासी थाना लोधीपारा रेलवे स्टेशन थाना गंज रायपुर।

03. अमित जंघेल पिता पूनम जंघेल उम्र 37 साल निवासी शिवानंद नगर थाना खमतराई रायपुर।

04. रवि डेंगवानी पिता मूलचंद डेंगवानी उम्र 42 साल निवासी महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।